न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 30–दो / 2008 विरूध्द आदेश दिनांक 29–11–2006 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 520 / अ–20 / 04–05 निगरानी.

रामशरण द्विवेदी पुत्र वंशगोपाल
निवासी करबा लौड़ी, तह0 लौड़ी,
जिला छतरपुर, म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

म0प्र0 शासन व्दारा कलेक्टर,
छतरपुर, म0प्र0

—— अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक – आवेदक
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 26.7. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के निगरानी प्रकरण कमांक 520 / अ–20 / 04–05 में पारित आदेश दिनांक 29–11–2006 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपर आयुक्त सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 9–10–03 व्दारा कलेक्टर व्दारा संहिता की धारा 51 के अन्तर्गत प्रदत्त पुनर्विलोकन अनुमति को निरस्त कर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया कि कलेक्टर प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का नियमानुसार निराकरण करें। इस प्रत्यावर्तन आदेशानुसार कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को स्वमेव निगरानी में दर्ज कर आवेदक रामशरण द्विवेदी को कारण बताओ सूचनापत्र दिनांक 19–3–05 को जारी करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जिसे उन्होंने अपने आदेश दिनांक 29–11–06 व्दारा निरस्त की गयी। अतः आवेदक ने यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के विव्दान अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर व्दारा स्वमेव निगरानी की कार्यवाही लम्बे समय व्यतीत हो जाने के पश्चात नहीं की जा सकती। कलेक्टर व्दारा 6 वर्ष पश्चात स्वमेव निगरानी में प्रकरण पंजीबध्द कर कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया है जो समयावधि बाह्य है। उनका यह भी तर्क है कि कारण बताओ सूचनापत्र जारी करने के पूर्व कलेक्टर व्दारा राजस्व पदाधिकारी से जॉच कर जॉच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है। कलेक्टर ने कारण बताओ सूचनापत्र में जिन भवनों का उल्लेख किया है, वह आवेदक व उसकी पत्नि के नहीं है, बल्कि अन्य व्यक्तियों के हैं और इस तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय में प्रमाणित किया गया है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक शासन के अभिभाषक का तर्क है कि कलेक्टर व्दारा अपर आयुक्त के प्रत्यावर्तन आदेशानुसार स्वमेव निगरानी की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है और आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया है। आवेदक को अपना पक्ष कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर उपलब्ध है, इसलिये निगरानी खारिज की जाय।

5/ अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट है कि कलेक्टर व्दारा अनुविभागीय अधिकारी को धारा 51 के अन्तर्गत दी गयी अनुमति आदेश दिनांक 7–8–2000 को निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया है कि कलेक्टर स्वमेव निगरानी में लेकर प्रकरण का विधि अनुसार निराकरण करें। इस आदेश के पालन में कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्र0क0 203/अ–20/97–98 में पारित आदेश दिनांक 14–7–98 को स्वमेव निगरानी में लेकर आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रकरण में हुई अनियमितता एवं अवैधानिकता के कारण अनुविभागीय अधिकारी व्दारा पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गयी जो कलेक्टर ने आदेश दिनांक 7–8–2000 व्दारा प्रदत्त की, किन्तु आवेदक व्दारा इस आदेश को अपर आयुक्त के समक्ष चुनौती दी जाने से अपर आयुक्त ने पुनर्विलोकन अनुमति निरस्त कर कलेक्टर को स्वमेव निगरानी में लेकर कार्यवाही करने के आदेश दिये जिसे समयावधि बाह्य होना मान्य नहीं किया जा सकता। जहाँ तक आवेदक क अन्य तर्कों का प्रश्न है, कलेक्टर व्दारा आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया है और आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर कलेक्टर के समक्ष उपलब्ध है, इसलिये आवेदक व्दारा प्रस्तुत तर्क प्री–मेच्युर होने से उन पर निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी दशा में अपर आयुक्त व्दारा आवेदक का निगरानी आवेदन खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। कलेक्टर के अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि कलेक्टर, छतरपुर

ने स्वमेव निगरानी प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 27–4–09 को पारित किये जा चुके हैं, इस कारण यह निगरानी निष्प्रभावी हो चुकी है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आवेदन खारिज किया जाता हैं। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 29–11–06 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0